

अनुसूचित जाति आदि उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (वर्ष 2026-27 से लागू)

1. योजना का उद्देश्य

राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों की श्रेणी से संबंधित कम आय वाले छात्रों को विदेशों में अध्ययन हेतु उच्च शिक्षा अर्थात् मास्टर डिग्री या पीएचडी पाठ्यक्रम करने की सुविधा प्रदान करना है, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके।

2. विषय-क्षेत्र

- क. यह योजना चयनित अभ्यर्थियों को किसी भी अध्ययन के क्षेत्र में उस देश की सरकार/प्राधिकृत निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम और पीएचडी पाठ्यक्रम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- ख. इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक चयन वर्ष में, निधियों की उपलब्धता के अधीन, 125 नई छात्रवृत्ति दी जाएगी। तथापि, स्लॉट आवंटित करते समय प्रत्येक राज्य के लिए कुल स्लॉट के 10% की सीमा होगी, जो अनुसूचित जातियों, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों और भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों के लिए होगी। यदि 10% की सीमा लागू करने के बाद चयन के पहले दौर में स्लॉट खाली रह जाते हैं, तो ये स्लॉट दूसरे दौर में भरे जाएंगे।
- ग. इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए पात्र विभिन्न समूहों के लिए स्लॉट का श्रेणीवार विभाजन निम्नानुसार होगा:

क्र.सं.	श्रेणी	स्लॉट की संख्या
1.	अनुसूचित जातियां	115
2.	विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां	06
3.	भूमिहीन कृषि मजदूर और पारंपरिक कारीगर	04
	कुल स्लॉट	125

घ. परिभाषाएं:

- i. भूमिहीन कृषि मजदूर का अर्थ है वह व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य जिनके पास कोई संपत्ति, जमीन या व्यवसाय नहीं है और जिनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम करना है।
- ii. पारंपरिक कारीगर का अर्थ है वह व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य जो पारंपरिक कारीगरी प्रथाओं के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं।
- ङ. यदि किसी वर्ष विशेष के दौरान, ऊपर सूचीबद्ध प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित सीमा तक सफल उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उस वर्ष की छात्रवृत्ति योजना के तहत योग्यता मानदंडों के अनुसार ऊपर उल्लिखित अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए खुली होगी।

- च. प्रत्येक वर्ष के लिए 30% स्लॉट महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए जाएंगे। तथापि, यदि योजना की शर्तों के अनुसार पर्याप्त महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो अप्रयुक्त स्लॉट का उपयोग उपयुक्त पुरुष उम्मीदवारों का चयन करके किया जाएगा।
- छ. किसी भी विषय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
- ज. जो अभ्यर्थी पहले से ही विदेश में रह रहे हैं या, अध्ययन कर रहे हैं या जिन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अन्य एजेंसी से प्राप्त किसी छात्रवृत्ति का उपयोग करके या स्वयं की निधियों से किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन पूरा कर लिया है, वे एनओएस के तहत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।
- झ. वर्ष 2026 के दौरान नवीनतम उपलब्ध क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार शीर्ष 500 रैंक वाले विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों में बिना शर्त प्रवेश की पेशकश करने वाले उम्मीदवारों को ही चयन के पहले दौर के दौरान छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चुना जाएगा। किसी अन्य देश में अपने परिसर के लिए विश्वविद्यालय की क्यूएस रैंकिंग उस देश में विश्वविद्यालय परिसर की क्यूएस रैंकिंग के अनुसार मानी जाएगी। यदि किसी अन्य देश में अपने परिसर के लिए कोई क्यूएस रैंकिंग उपलब्ध नहीं है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। वर्ष में चयन के दूसरे दौर में, निम्नलिखित प्राथमिकता दी जाएगी:
- (i) दूसरे चक्र में आवेदन करने वाले शीर्ष 500 क्यूएस रैंकिंग संस्थानों से बिना शर्त प्रवेश प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी।
 - (ii) अन्य क्यूएस रैंकिंग संस्थानों से बिना शर्त प्रवेश प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रवेश के लिए चालू वर्ष के पिछले चक्रों या वर्तमान चक्र के दौरान योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है।

(iii) अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों से बिना शर्त प्रवेश प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रवेश के लिए चालू चक्र के पिछले चक्रों या वर्तमान चक्र के दौरान योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है।

तथापि, प्रवेश प्रस्ताव में उल्लिखित कोई भी वित्तीय शर्त जैसे शुल्क या किसी अन्य राशि का जमा किया जाना, या निधियों के स्रोत का प्रमाण, योजना दिशानिर्देशों के तहत आवेदन पर विचार करने में बाधा नहीं आयेगी।

3. न्यूनतम योग्यता

छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए, अर्हक परीक्षा में कम से कम 60% अंक या समतुल्य ग्रेड की आवश्यकता होगी। पीएचडी पाठ्यक्रमों के मामले में, यह अर्हक परीक्षा मास्टर डिग्री होगी और मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए, अर्हक परीक्षा स्नातक की डिग्री होगी। यदि किसी छात्र ने डिप्लोमा (लेटरल एंट्री से दूसरे वर्ष) पूरा करने के बाद इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री पूरी की है, तो स्नातक की डिग्री में प्राप्त अंकों का प्रतिशत ध्यान में रखा जाएगा।

किसी भी विश्वविद्यालय के लिए, प्रतिशत की गणना आवेदक द्वारा विभिन्न सेमेस्टरों/टर्म में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। सभी सेमेस्टर की मार्कशीट उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जहाँ विश्वविद्यालय केवल सीजीपीए प्रदान करता है और संख्यात्मक अंक नहीं, वहाँ सीजीपीए को संख्यात्मक अंकों में बदलने का एक सूत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

यदि आवेदन पत्र के साथ सभी सेमेस्टर/टर्म की मार्कशीट जमा नहीं की जाती है तो आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। इसी तरह, यदि आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ सीजीपीए के रूपांतरण का फॉर्मूला (जहाँ भी लागू हो) जमा नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। इस संबंध में किसी भी मामले में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. आयु

चयन वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन तक 35 (पैंतीस) वर्ष से अधिक नहीं।

5. आय सीमा

इन दिशा-निर्देशों के पैरा 8ग में विस्तृत रूप से बताया गया है कि सभी स्रोतों से कुल वार्षिक पारिवारिक आय पिछले वित्तीय वर्ष में 8.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र किसी राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए जो "तहसीलदार" के रैंक से कम का न हो। छात्र फाइनल अवार्ड लेटर जारी करने से पहले स्वयं और परिवार के अन्य सदस्यों के संबंध में आयकर विभाग द्वारा धारा 143(1) के तहत जारी केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) सूचना आदेश के साथ पूर्ण आईटीआर/आईटीआर प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आईटीआर की पावती पोर्टल पर आवेदन करते समय प्रस्तुत की जानी चाहिए, जहां वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सकल वार्षिक पारिवारिक आय पुरानी कर व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये और नई कर व्यवस्था में 3.0 लाख रुपये से अधिक है। आय प्रमाण पत्र या तो केंद्र/राज्य सरकार के डिजिटल, निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए या जारी करने वाले प्राधिकारी के लेटर हेड पर होना चाहिए।

6. परिवार

योजना के तहत, पारिवारिक आय के निर्धारण के लिए, परिवार को इस प्रकार माना जाएगा:

"छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।"

नोट: विवाहित महिलाओं के मामले में, ससुराल वालों और उसके पति और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आय पर विचार किया जाएगा।

7. छात्रवृत्ति के लिए परिवार में बच्चों की अधिकतम संख्या

छात्रवृत्ति पाने वाले व्यक्ति को दूसरी बार छात्रवृत्ति के लिए नहीं चुना जा सकता क्योंकि छात्रवृत्ति केवल एक बार दी दिया जा सकती है। एक ही माता-पिता/अभिभावक के दो से अधिक बच्चे इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे और इस संबंध में उम्मीदवार से स्व-प्रमाणन की आवश्यकता होगी। एक ही माता-पिता/अभिभावक के दूसरे बच्चे पर तभी विचार किया जाएगा जब आवेदक ने जिस वर्ष आवेदन किया है, उसके अंतिम चक्र में अभी भी स्लॉट उपलब्ध हों।

8. आवेदन प्रक्रिया

- क. योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए समाचार पत्रों/अन्य मीडिया में योजना का विज्ञापन किया जाएगा। उम्मीदवार, योजना दिशानिर्देशों की पात्रता शर्तों के अनुसार अपनी पात्रता और उपयुक्तता का आकलन करने के बाद, इस मंत्रालय के पोर्टल अर्थात् www.nosmsje.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ख. चयन वर्ष की अवधि प्रत्येक वर्ष अप्रैल-मई होगी। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए फरवरी/मार्च में पहले दौर के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल 40 दिनों की अवधि के लिए खोला जाएगा और इस अवधि के बाद, उम्मीदवारों को जमा किए गए आवेदनों में सुधार करने के लिए 4 दिनों के लिए फिर से पोर्टल खोला जाएगा और केवल ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पर ही चयन के लिए विचार किया जाएगा। यदि स्लॉट खाली रह जाते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए सितंबर/अक्टूबर में दूसरे चक्र के लिए पोर्टल फिर से 40 दिनों की अवधि के लिए खोला जाएगा और इस अवधि के बाद, उम्मीदवारों को प्रत्येक चयन वर्ष में जमा किए गए आवेदनों में यदि कोई सुधार करना हो तो उसके लिए 4 दिनों के लिए फिर से पोर्टल खोला जाएगा।
- ग. प्रत्येक चयन वर्ष के प्रथम चरण के लिए, चयन के प्रयोजनार्थ, पिछले पूर्ण वित्तीय वर्ष की सकल वार्षिक पारिवारिक आय को ध्यान में रखा जाएगा। उदाहरण के लिए, चयन वर्ष 2026-27 के लिए, एनओएस छात्रवृत्ति के पहले चरण के आवेदनों को आमंत्रित करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल अप्रैल/मई 2026 में 40 दिनों की अवधि के लिए खोला जाएगा; आवेदनों में सुधार के लिए 4 दिन का समय दिया जाएगा, और चयन के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2025-26 की कुल वार्षिक पारिवारिक आय को आधार बनाया जाएगा। जिन मामलों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए परिवार की कुल वार्षिक आय, पुरानी आय प्रणाली के तहत ₹2.5 लाख या नई आय प्रणाली के तहत ₹3.0 लाख से ज़्यादा है, तो छात्र को फ़ाइनल अवार्ड पत्र जारी होने से पहले, अपनी और परिवार के अन्य सभी सदस्यों की पूरी आय कर रिटर्न (आईटीआर/आईटीआर) जमा करनी होगी; साथ ही, आय कर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत जारी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) का इंटीमेशन ऑर्डर भी जमा करना होगा। ऐसा न करने पर, अभ्यर्थी को जारी किया गया फ़ाइनल अवार्ड लेटर रद्द कर दिया जाएगा। दूसरे दौर के लिए पोर्टल सितंबर/अक्टूबर 2026 में 40 दिनों की अवधि के लिए खोला जाएगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और सुधार के लिए 4 दिन दिए जाएंगे तथा इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 की सकल वार्षिक पारिवारिक आय को चयन के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाएगा।

- घ. सभी तरह से पूर्ण ऑनलाइन आवेदनों पर ही छात्रवृत्ति के लिए विचार किया जाएगा। सभी अधूरे आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि, निरस्त किए गए उम्मीदवारों/गैर-चयनित उम्मीदवारों के पास चयन के बाद के चरणों में आवेदन करने का विकल्प होगा। उम्मीदवारों को संलग्नक-I के अनुसार दस्तावेज जमा करने होंगे।
- ङ. परिणाम से संबंधित शिकायतों पर पोर्टल पर परिणाम के प्रकाशन से 30 कैलेंडर दिनों तक विचार किया जाएगा और उम्मीदवार के आवेदन की जांच के समय अनजाने में हुई गलतियों पर ही विचार किया जाएगा। शिकायत निवारण अवधि के दौरान कोई अतिरिक्त दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही उन पर विचार किया जाएगा।
- च. किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेष के लिए आरक्षित कोटे के अंतर्गत किसी अभ्यर्थी की पात्रता निर्धारित करने के लिए, जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कोटा पात्रता के प्रयोजनार्थ उसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र माना जाएगा।

9. चयन प्रक्रिया

- क. केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना आधार कार्ड जमा किया है और उन विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों में से किसी एक से प्रवेश का बिना शर्त प्रस्ताव प्राप्त किया है जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 और उसके बाद के लिए शीर्ष 500 क्यूएस विश्व रैंक वाले संस्थानों/विश्वविद्यालयों की सूची में हैं, उन्हें योजना की अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन उस संस्थान/विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। हालांकि, यदि छात्र आवेदन के समय पोर्टल पर अपना आधार कार्ड जमा करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें फाइनल अवार्ड लेटर/पुष्टि पत्र जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से अपना आधार आईडी/आधार ईआईडी जमा करने के लिए कहा जाएगा, अन्यथा उन्हें जारी किया गया अनंतिम अवार्ड लेटर रद्द कर दिया जाएगा।
- ख. संस्थान/विश्वविद्यालय बदलने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि चयनित उम्मीदवार पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय बदलना चाहता है, तो वह अगले उपलब्ध दौर में नए सिरे से आवेदन कर सकता है।
- ग. चयन के केवल दो चरण होंगे। चयन के प्रत्येक चक्र के लिए, पात्र उम्मीदवारों की मेरिट सूची, विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों की नवीनतम उपलब्ध क्यूएस रैंकिंग के अनुसार रैंक के आधार पर तैयार की जाएगी, जहाँ से उम्मीदवार को प्रवेश का प्रस्ताव मिला है और इस मेरिट के क्रम में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उच्च रैंक वाले विश्वविद्यालय/संस्थान से ऑफर लेटर रखने वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची में उच्च रैंक दी जाएगी। दो या अधिक उम्मीदवारों की क्यूएस रैंकिंग के बीच बराबरी की स्थिति में, मेरिट में उनका स्थान उम्मीदवार द्वारा उच्च अध्ययन के लिए योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों/ग्रेड के आधार पर तय किया जाएगा, जिसके लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है।

- घ. पात्र उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदनों को चयन-सह-स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखा जाएगा, ताकि छात्रवृत्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों के चयन और रैंकिंग के लिए उनकी सिफारिशों की जा सकें।
- ङ. पात्र उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची अंतिम दौर में रखी जाएगी। प्रतीक्षा सूची चयन वर्ष की 31 मार्च तक वैध रहेगी। प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवार अगले चयन वर्ष के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। प्रतीक्षा सूची कुल सीटों की अधिकतम 50% होगी।
- च. जो उम्मीदवार अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए अनंतिम अवार्ड लेटर जारी होने के बाद देश छोड़ना चाहते हैं, उन्हें देश छोड़ने से पहले इस विभाग को अपने वित्तपोषण के स्रोत के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी; जिसमें ऋण दस्तावेज, वित्तीय लेनदेन का प्रमाण आदि शामिल है। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- छ. छात्रों को विदेश में विश्वविद्यालय/संस्थान में शामिल होने के लिए अनंतिम अवार्ड लेटर जारी करने की तारीख से एक वर्ष या दो प्रवेश स्थगन की अधिकतम अवधि की अनुमति दी जा सकती है, जो भी पहले हो, ऐसा न करने पर अवार्ड स्वतः ही रद्द हो जाएगा और उसके बाद इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- ज. यदि किसी छात्र को अवार्ड लेटर की पुष्टि का पत्र जारी किया जाता है, तो उसे अवार्ड की पुष्टि के पत्र जारी होने की तारीख से छह (6) महीने के भीतर मूल दस्तावेजों का सत्यापन, बांड, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट आदि जमा करने जैसी सभी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी, अन्यथा अवार्ड लेटर स्वतः ही रद्द हो जाएगा। इन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कोई और समय नहीं दिया जाएगा।
- झ. दिशा-निर्देशों के तहत उम्मीदवारों के चयन की समय-सीमा संलग्नक-II में दी गई है।

10. अनिवार्य शर्तें

- i. उम्मीदवारों को एनओएस पोर्टल पर अपना आधार कार्ड जमा करना होगा और नवीनतम उपलब्ध शीर्ष 500 क्यूएस रैंकिंग संस्थानों/विश्वविद्यालयों में योजना में निर्दिष्ट कार्यक्रमों/क्षेत्रों में प्रवेश लेने के लिए अपने स्वयं के प्रयास करने होंगे। (<https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2026>)
- ii. उम्मीदवार इस योजना के तहत उसी स्तर (मास्टर्स/पीएचडी) के पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है, जिसके लिए उसने भारत या विदेश में किसी भी विश्वविद्यालय/संस्थान से योग्यता प्राप्त कर ली है।
- iii. भारत आधारित शोध विषय पर भारतीय संस्कृति/विरासत/इतिहास/सामाजिक अध्ययन से संबंधित विषय/पाठ्यक्रम एनओएस के तहत शामिल नहीं किए जाएंगे। इस श्रेणी के तहत किस विषय को कवर किया जा सकता है, इसका अंतिम निर्णय एनओएस की चयन-सह-स्क्रीनिंग समिति पर निर्भर करेगा।
- iv. नियोजित उम्मीदवारों को इस मंत्रालय को नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (एनओसी) प्रदान करना आवश्यक है।
- v. यदि छात्र विदेश जाने से पहले सरकारी कर्मचारी था, तो भारत लौटने पर उसे

सरकार की सेवा भी करनी होगी, यदि वह भारत लौटने के बाद भी सरकारी सेवा में बना रहता है, जैसा कि वह योजना के तहत छात्रवृत्ति के साथ विदेश जाने से पहले था।

- vi. अध्ययन अवकाश, वेतन आदि जैसे सभी प्रशासनिक मामले उम्मीदवार द्वारा सीधे अपने नियोक्ता के साथ और सेवारत संगठन के नियमों के अनुसार समाधान किया जाएगा। यह मंत्रालय इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा या न ही सहायता प्रदान करेगा।
- vii. उम्मीदवार को उस देश के लिए उपयुक्त वीज़ा प्राप्त करना होगा, जहाँ वह योजना से प्राप्त छात्रवृत्ति के साथ आगे अध्ययन करना चाहता है, और वीज़ा जारी करने वाले अधिकारी यह देख सकते हैं कि केवल उसी प्रकार का वीज़ा जारी किया जाए जो उम्मीदवार को विदेश में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम करने की अनुमति देता है और उसके बाद उम्मीदवार भारत लौटता है। यदि उम्मीदवार संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन कर रहा है, तो उम्मीदवार को केवल J-1 वीज़ा प्राप्त करना आवश्यक है। यूएसए का विदेश विभाग छात्रों के लिए J-1 वीज़ा के लिए नामित प्रायोजक संगठनों की एक सूची रखता है। यूएसए जाने वाले उम्मीदवारों को केवल J-1 वीज़ा प्रायोजित विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में ही आवेदन करना चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार ने F-1 वीज़ा पर प्रवेश के लिए आवेदन किया है या पहले ही F-1 वीज़ा प्राप्त कर लिया है, तो ऐसा उम्मीदवार योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है। भारत सरकार वीज़ा प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को कोई सहायता नहीं देगी।
- viii. उम्मीदवार को यह वचन देना होगा कि वह अपने विश्वविद्यालय को विदेश में संबंधित भारतीय मिशन और मंत्रालय के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति देगा। उम्मीदवार को यह वचन भी देना होगा कि उसे भारत सरकार/राज्य सरकार/विदेशी सरकार/भारत या विदेश में किसी अन्य संगठन से कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि उम्मीदवार को विश्वविद्यालय/कॉलेज से कोई छात्रवृत्ति मिल रही है जिसमें उसने कोर्स के लिए प्रवेश प्राप्त किया है, तो उसे वही छात्रवृत्ति दी जाएगी, हालांकि, उम्मीदवार को इस मंत्रालय को इसकी सूचना देनी चाहिए और छात्रवृत्ति की यह राशि बीएओएस के तहत स्वीकार्य राशि से काट ली जाएगी। चयनित उम्मीदवार को विदेशी देश के मौजूदा कानूनों के अनुसार इस मंत्रालय और विदेश में भारतीय मिशन को यह वचन भी देना होगा कि योजना के तहत कोर्स पूरा करने या छात्रवृत्ति की अवधि से परे विदेश में रहने का विस्तार, जो भी पहले हो, स्वीकार्य नहीं होगा। तथापि, योजना के तहत कोर्स पूरा करने या छात्रवृत्ति की अवधि के बाद विदेश में रहने के लिए विस्तार, जो भी पहले हो, खंड 14 में उल्लिखित अनुसार स्वीकार्य है।
- ix. यदि संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान कोरोना महामारी (कोविड-19) या भविष्य में उत्पन्न होने वाली ऐसी किसी अन्य अपरिहार्य स्थिति के कारण छात्र को ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति दे रहा है, तो उम्मीदवार को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होना आवश्यक है।
- x. चयनित उम्मीदवार को दो जमानतदारों के साथ एक नोटरी-पब्लिक के समक्ष एक गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर एक बांड निष्पादित करना अपेक्षित है, जो भारत

सरकार द्वारा उम्मीदवार पर खर्च की जाने वाली वास्तविक राशि या 50,000/- (पचास हजार) रुपये जो भी अधिक हो, के लिए अलग से जमानत बांड निष्पादित करेंगे। प्रत्येक जमानत बांड में भारतीय रुपये में अनुमानित व्यय को निर्दिष्ट और कवर किया जाएगा जो कि विदेश में अध्ययन की पूरी अवधि के दौरान छात्र पर यात्रा व्यय, फीस, मेन्टेनेंस और आकस्मिक भत्ते, वजीफा, छात्रवृत्ति और अन्य विविध खर्चों के रूप में खर्च होगा भारत सरकार द्वारा तय की गई बॉन्ड की भाषा उम्मीदवार को स्वीकार्य होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को संबंधित राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले दोनों जमानतदारों के लिए सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट प्रदान करना होगा।

- xii. यदि चयनित उम्मीदवार विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था में प्रवेश प्राप्त करता है और खंड 10(ix) में उल्लिखित बांड के निष्पादन से पहले विश्वविद्यालय/संस्था में प्रवेश लेता है और भारत लौटने की स्थिति में नहीं है, तो वह भारत में अपने किसी प्रतिनिधि के लिए भारत सरकार के साथ कानूनी बांड/समझौते/उपक्रम निष्पादित करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) निष्पादित कर सकता है। ऐसे सभी आवेदकों को उस देश में भारतीय दूतावास/उच्चायोग द्वारा पीओए को सत्यापित/मान्य करवाना आवश्यक है जहां वह अध्ययन कर रहा है।
- xiii. चयनित उम्मीदवारों को अपने प्रस्थान से पहले ऐसे सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने और ऐसे समझौते करने की आवश्यकता होती है जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तय किया जाएगा।
- xiv. यदि विवाहित उम्मीदवार अपने जीवनसाथी और बच्चों को अपने साथ ले जाने या अध्ययन अवधि के दौरान बाद में उनके साथ शामिल होने का निर्णय लेते हैं, तो यह पूरी तरह से उनके वित्तीय क्षमता और पासपोर्ट, वीजा आदि की उपलब्धता का आकलन करने पर निर्भर है क्योंकि उनके जीवनसाथी और बच्चों के लिए योजना के तहत किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के साथ-साथ कोई अन्य सहायता कवरेज प्रदान नहीं की जाती है।
- xv. यदि छात्र को विदेश में भारतीय मिशन या किसी अन्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से अधिक भुगतान प्राप्त हुआ है, तो वह भारत सरकार को इसे वापस करने के लिए उत्तरदायी है और उसके नियोक्ता (यदि कोई हो) को भारत सरकार के अनुरोध पर उसके बकाए से अतिरिक्त राशि वसूलने और भारत सरकार को इसे वापस करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- xvi. एनओएस योजना के तहत आवश्यक प्रक्रिया/औपचारिकताएं पूरी किए बिना विदेश में अपनी शिक्षा पूरी करने वाले उम्मीदवारों को कोई छात्रवृत्ति वितरित नहीं की जाएगी/भुगतान नहीं किया जाएगा।
- xvii. यह मंत्रालय, यदि आवश्यक हो, तो अन्य विभागों/एजेंसियों के परामर्श से, छात्रों से संबंधित ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेगा जो ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं जो अप्रत्याशित प्रकृति के हैं और इस प्रकार, इस लिखित योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं और मंत्रालय के निर्णय अंतिम और छात्रों पर बाध्यकारी होंगे।
- xviii. अभ्यर्थी उस अध्ययन या शोध के पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं करेंगे जिसके लिए छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। तथापि, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि किसी विश्वविद्यालय/संस्था में पीएचडी कर रहा कोई छात्र, जहां वह आरंभ में पंजीकृत है, पाता है कि उसका गार्ड चला गया है और उसके स्थान पर तत्काल कोई प्रतिस्थापन

नहीं है या विश्वविद्यालय/संस्था ने उस क्षेत्र में अपनी शोध सहायता सुविधाएं बंद कर दी हैं जहां छात्र पीएचडी शोध कर रहा था; ऐसे मामलों में विदेश स्थित भारतीय मिशन छात्र को योजना में अधिसूचित विश्वविद्यालय/संस्था को बदलने की अनुमति देने के लिए अधिकृत हैं, मिशन द्वारा ऐसी आवश्यकता के बारे में संतुष्ट होने के पश्चात, हालांकि, इस शर्त के अधीन कि प्रारंभिक विश्वविद्यालय/संस्था में छात्र द्वारा अर्जित किए गए क्रेडिट, यदि कोई हों, दूसरे विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा स्थानांतरण के लिए स्वीकार किए जाएंगे और छात्रवृत्ति की कुल अवधि ऐसे स्थानांतरण/परिवर्तन पर भी अपरिवर्तित रहेगी, जिसे छात्रवृत्ति के दौरान केवल एक बार ही अनुमति दी जाएगी।

- xviii. यदि अभ्यर्थी असफल हो जाता है तो निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:-
- i). किसी भी अनुत्तीर्ण विषय में दोबारा उपस्थित होने के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - ii). यदि कोई अभ्यर्थी केवल शैक्षणिक असफलता के कारण विस्तार चाहता है, तो विस्तार के लिए कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में जहाँ असफलता के साथ उचित कारण भी है, ऐसे अनुरोधों पर विदेश में भारतीय मिशन और संबंधित विश्वविद्यालय की सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से विचार किया जा सकता है।
- xix. स्वदेश में किसी आपातस्थिति में, जहां छात्र को कुछ समय के लिए भारत लौटना पड़ता है, छात्र को भारतीय मिशन और उस शैक्षणिक संस्थान को, जहां वह अध्ययन कर रहा है, सूचित करने के पश्चात, विशिष्ट उद्देश्य के लिए भारत लौटने की अनुमति है। हालांकि, छात्र को यात्रा के लिए आने-जाने का खर्च वहन करना होगा और विदेश में अपने शैक्षणिक संस्थान से दूर रहने की अवधि के लिए भारतीय मिशन से योजना के तहत मेन्टेनेंस भत्ता प्राप्त करने का भी हकदार नहीं होगा और भारतीय मिशन द्वारा मेन्टेनेंस भत्ता उसी संस्थान में उसी पाठ्यक्रम को फिर से शुरू करने की तिथि से ही फिर से शुरू किया जाएगा। छात्र को स्वदेश में स्थिति से निपटने के पश्चात, यथाशीघ्र अपने शैक्षणिक संस्थान में वापस लौटना होगा; ऐसा न करने पर, उसे डिफाल्टर घोषित किया जा सकता है और उसके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
- xx. योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद सभी उम्मीदवारों को रोजगार के लिए तथा विदेशों में अर्जित अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पाठ्यक्रम पूरा होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर भारत लौटना आवश्यक है। छात्रों को कम से कम एक वर्ष तक भारत में रहना होगा तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों में सेवा के अवसरों की तलाश करनी होगी।
- xxi. यह अपेक्षा की जाती है कि योजना के लाभार्थी राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसरों का पता लगाएंगे और किसी भी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे।

11. भारतीय मिशन की भूमिका

- i. भारतीय मिशन अपने अधिकार क्षेत्र में अध्ययनरत छात्रों को मौजूदा व्यवस्थाओं और स्वीकृति आदेशों के अनुसार ट्यूशन फीस/मेन्टेनेंस भत्ता/अन्य भत्ते का भुगतान करेंगे।

- ii. यदि छात्र सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने में असमर्थ है, तो उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा और डिफॉल्टर क्लॉज पर क्लॉज 16 में निर्धारित ब्याज के साथ उस पर खर्च की गई पूरी राशि वापस प्राप्त करने का उत्तरदायी होगा। हालांकि, यदि उम्मीदवार का गाइड/विभागाध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि उम्मीदवार ने अपनी प्रतिबद्धता/समर्पण/अध्ययन के प्रति ध्यान में कोई कमी नहीं पाई है, तो मंत्रालय को योजना के तहत उसे डिफॉल्टर के दंड क्लॉज से छूट देने का अधिकार होगा। ऐसे सभी मामलों में, भारतीय मिशन सबसे छोटे मार्ग और इकोनॉमी क्लास द्वारा भारत के लिए वापसी हवाई यात्रा प्रदान करेंगे।
- iii. जब छात्र कोर्स के सफल समापन के बाद एक महीने से अधिक समय तक विदेश में रहता है और फिर अपने खर्च पर भारत लौटता है, तो वह अपने द्वारा बुक किए गए वापसी यात्रा के पैसे वापस पाने का हकदार नहीं होगा। सामान्य परिस्थितियों में, पाठ्यक्रम के सफल समापन के तुरंत बाद, विदेश में भारतीय मिशन योजना के अनुसार छात्र के लिए वापसी यात्रा बुक करते हैं, और इस प्रकार, पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद एक महीने से अधिक समय तक बिना किसी विशेष उद्देश्य के रहने वाले छात्र को विदेश में भारतीय मिशनों के माध्यम से सरकारी खर्च पर वापसी यात्रा के अपने दावे को खोना पड़ेगा।
- iv. नियमित आधार पर छात्रों की प्रगति की निगरानी की जाएगी।
- v. भारतीय मिशनों को छात्र के भारत लौटने के बारे में इस मंत्रालय को सूचित करना आवश्यक है।

12. निगरानी

- i. विदेश स्थित भारतीय मिशन उस विश्वविद्यालय/संस्थान से द्विवार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, जहां छात्र अपनी पढाई कर रहा है, जिसके लिए उसे योजना के तहत छात्रवृत्ति दी गई थी। मिशन छात्र के मामले में ऐसे गंभीर प्रतिकूल घटनाक्रमों की जानकारी इस मंत्रालय को देंगे, जिसके लिए छात्रवृत्ति को आगे जारी रखने या अन्यथा निर्णय लेने की आवश्यकता है। हालांकि, मिशन ऐसे छात्रों को सलाह देते रहेंगे कि वे अपनी उपलब्धियों को सुधारने के लिए गंभीर प्रयास करें, जो उनकी द्विवार्षिक प्रगति रिपोर्ट में दर्शाए गए मानकों के अनुरूप नहीं हैं और उन्हें यह भी याद दिलाया जा सकता है कि योजना के तहत वित्तीय सहायता योजना के तहत निर्धारित अवधि से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है।
- ii. मेन्टेनेंस भत्ते का भुगतान प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने से जुड़ा होता है। पहले सेमेस्टर के लिए, मेन्टेनेंस भत्ता छात्रवृत्ति विजेता को दो किस्तों में अग्रिम के रूप में दिया जा सकता है: पहली बार तीन महीने बाद और दूसरी बार तीन महीने बाद। इसके बाद, अगले सेमेस्टर के लिए मेन्टेनेंस भत्ता छात्र की संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही तिमाही आधार पर दिया जा सकता है।
- iii. मिशन और मंत्रालय एनओएस पोर्टल पर चयन, मंजूरी आदेश, निधियां जारी करने और छात्रों की प्रगति आदि की स्थिति बनाए रखेंगे।

13. वित्तीय सहायता

क्र.सं.	सहायता का प्रकार	ब्रिटेन को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) और अन्य देश	यूनाइटेड किंगडम (यू.के.)
1.	वार्षिक मेन्टेनेंस भत्ता	15,400 अमेरिकी डॉलर	9900 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड
2.	वार्षिक आकस्मिक भत्ता	1500 अमेरिकी डॉलर	1100 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड
3.	ट्यूशन फीस	वास्तविक प्रभार	
4.	वीज़ा फीस	भारतीय रुपए में वास्तविक वीज़ा शुल्क	
5.	मेडिकल बीमा प्रीमियम	वास्तविक प्रभार	
6.	आकस्मिक यात्रा भत्ता एवं उपकरण भत्ता	प्रत्येक के लिए 20 अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपए में इसके समतुल्य	
7.	वायु मार्ग	<p>क) छात्रों को तीन अधिकृत ट्रेवल एजेंटों अर्थात् बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल), अशोक ट्रेवल्स एंड टूरस (एटीटी), भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) से हवाई टिकट (भारत में गृहनगर के निकटतम हवाई अड्डे से शैक्षणिक संस्थान के निकटतम स्थान तक और वापस भारत) खरीदने की अनुमति दी जाएगी, इस शर्त के साथ कि खरीदी गई टिकट बुकिंग की तिथि पर इकोनॉमी क्लास / सबसे छोटे मार्ग की होनी चाहिए।</p> <p>ख) टिकट बुकिंग के लिए ट्रेवल एजेंट का चयन छात्रों के लिए खुला रखा गया है। छात्रों को कोई बुकिंग शुल्क/अतिरिक्त सामान/निरस्तीकरण शुल्क और अन्य अतिरिक्त शुल्क वापस नहीं किए जाएंगे।</p> <p>ग) छात्र विश्वविद्यालय में शामिल होने और विश्वविद्यालय से ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रदान करने के बाद विदेश में संबंधित भारतीय मिशन से हवाई किराए की प्रतिपूर्ति का दावा करेंगे।</p> <p>घ) शर्तें 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगी।</p> <p>ङ) वापसी टिकट विदेश में भारतीय मिशन द्वारा खंड 11(iii) के अनुसार बुक किए जाएंगे।</p>	

टिप्पणी:

- i. आकस्मिक भत्ता पुस्तकों/लैपटॉप सहित आवश्यक उपकरणों/अध्ययन दौरे/विषय से संबंधित सम्मेलन, कार्यशाला आदि में भाग लेने के लिए यात्रा लागत/थीसिस आदि की टाइपिंग और बाइंडिंग तथा विश्वविद्यालय/संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस के लिए दिया जाता है, जो छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों के अध्ययन से सीधे संबंधित हैं जैसे छात्र सेवा शुल्क, छात्र सुविधा शुल्क, छात्र सेवा और सुविधा शुल्क, पंजीकरण शुल्क, परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क, पुस्तकालय शुल्क आदि। हालांकि, पाठ्यक्रम में शामिल होने से पहले या पाठ्यक्रम के दौरान अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के पाठ्यक्रम के लिए शुल्क की अनुमति नहीं है।

- ii. उतरने के पत्तन से अध्ययन के स्थान तक और वापस आने के लिए द्वितीय या कोच श्रेणी का रेल किराया दिया जाएगा। रेल से नहीं जुड़े दूरदराज के स्थानों के मामले में, निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन तक बस किराया, नौका द्वारा पार करने का वास्तविक शुल्क, निकटतम रेल-सह-वायु स्टेशन तक हवाई किराया और/या सवार होने के पत्तन तक और वापस आने के लिए सबसे छोटे मार्ग से द्वितीय श्रेणी का रेल किराए की अनुमति होगी। उपरोक्त सूचीबद्ध वित्तीय सहायता के वितरण का तरीका भारत सरकार और विदेश में भारतीय मिशनों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- iii. छात्रों को अनुसंधान/शिक्षण सहायक-शिप करके अपने निर्धारित भत्ते की पूर्ति करने की अनुमति है।
- iv. ऐसे छात्रों के मामले में जो किसी भी कारण से भारत में ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं, मेन्टेनेंस भत्ते की दर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत शैक्षणिक भत्ते की अनुमोदित दरों के अनुसार लागू होगी, जो दिन में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत समूह 1 के रूप में वर्गीकृत पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं।
- v. यदि अनुसंधान करने वाला कोई चयनित छात्र संबंधित भारतीय मिशन और संबंधित विश्वविद्यालय से अनुमोदन के साथ एनओएस योजना के तहत अध्ययन/अनुसंधान के उद्देश्य से भारत का दौरा करता है, तो भारत में मेन्टेनेंस भत्ते आदि की दर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप योजना के तहत दर के अनुसार लागू होगी।

14. वित्तीय सहायता के साथ छात्रवृत्ति की अवधि

- i. निर्धारित वित्तीय सहायता पाठ्यक्रम/अनुसंधान की स्वीकृत अवधि या उसके बाद की अवधि तक, जो भी पहले हो, प्रदान की जाएगी:-

पीएच.डी.	--	04 वर्ष (चार वर्ष)
मास्टर डिग्री	--	03 वर्ष (तीन वर्ष)
- ii. ऊपर बताए गए पाठ्यक्रमों के स्तरों के लिए निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने पर, भारत लौटने के लिए हवाई यात्रा को छोड़कर किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के बिना विचार किया जा सकता है, यदि और केवल तभी जब शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय के साथ-साथ विदेश में भारतीय मिशन में सक्षम संबंधित प्राधिकारी की सिफारिश प्राप्त हो, जो यह प्रमाणित करती हो कि निर्दिष्ट अवधि के लिए इस तरह का अधिक समय तक रहना, उम्मीदवार को पाठ्यक्रम पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए बिल्कुल आवश्यक है। हालाँकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय केवल भारत सरकार के पास होगा।

15. योजना का अधिकार क्षेत्र

इस योजना का अधिकार क्षेत्र चयनित अभ्यर्थियों को निर्दिष्ट विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

16. योजना के अंतर्गत डिफॉल्ट

यदि विदेश में अध्ययन करने वाला कोई अभ्यर्थी उसके द्वारा निष्पादित बांड की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है और शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय उसके अध्ययन और/या आचरण के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट के बारे में विदेश स्थित भारतीय मिशन को सूचित करता है और/या अभ्यर्थी किसी अन्य देश के लिए रवाना हो जाता है या फरार हो जाता है या किसी अन्य विश्वविद्यालय या पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में शामिल हो जाता है या/और विदेश स्थित भारतीय मिशन को सूचित किए बिना आपात स्थिति में भारत वापस आ जाता है, तो उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा और वह उस पर खर्च की गई संपूर्ण राशि ब्याज सहित वापस पाने का उत्तरदायी होगा, जो 12% प्रति वर्ष की दर से होगी और यदि कोई छात्र ऐसी वापसी की मांग किए जाने की तारीख से छह महीने के भीतर राशि वापस करने में विफल रहता है, तो बकाया राशि पर उपरोक्त सामान्य ब्याज दर से 2.5% की अधिक दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा। यदि छात्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से ब्याज सहित ऐसी राशि वापस करने में विफल रहता है, तो उसके जमानतदार, जिन्होंने बांड निष्पादित किए हैं, पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसके विफल होने पर संबंधित जिले के जिला कलेक्टर भूमि राजस्व के बकाया के रूप में राशि वसूल करेंगे।

17. झूठी जानकारी प्रस्तुत करना

यदि किसी उम्मीदवार ने कोई गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया है और यह गलत साबित होता है, तो उसे छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाएगा और यदि उसने इसका लाभ उठाया है या उठा रहा है, तो उस पर खर्च की गई राशि की वसूली के लिए 15% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसे उम्मीदवार को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा और नियोजित उम्मीदवार को इस तरह के कृत्य के लिए विभागीय कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए भारत सरकार संबंधित नियोक्ताओं के साथ मामला उठाएगी। इसलिए संबंधित नियोक्ताओं से यह भी अनुरोध है कि वे आवेदक को एनओसी देने से पहले अपने कर्मचारियों के आवेदन की सामग्री को ध्यान से पढ़ें। नियोक्ता अपने द्वारा नियोजित उम्मीदवारों से ऐसे बांड निष्पादित करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, जैसा कि वे उचित और आवश्यक समझते हैं और ऐसे मामलों में उनके नियमों और विनियमों के अनुसार हैं।

18. मुकदमा

भारत में इस योजना से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले पर मुकदमा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्थित न्यायालयों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। विदेश में उत्पन्न होने वाले मुकदमे विदेश में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा निपटाए जाएंगे।

19. प्रशासनिक व्यय

एनओएस के कुल बजट का 1% से अधिक प्रावधान विदेश स्थित भारतीय मिशन/मंत्रालय को डेटाबेस बनाने, प्रचार-प्रसार, जनशक्ति की भर्ती, एनओएस पोर्टल रखरखाव/उन्नयन और

जागरूकता पैदा करने या किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा जो योजना को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक होगी। प्रशासनिक व्यय का उपयोग करते हुए, यह मिशन मंत्रालय की मंजूरी से संबंधित कार्य के प्रबंधन के लिए पूर्णकालिक/अंशकालिक कर्मियों को नियुक्त कर सकता है।

20. अन्य छात्रवृत्ति योजना के लाभ से प्रतिबंध

अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य समान योजना के तहत छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले सकेगा।

21. योजना के किसी भी खंड में संशोधन/छूट

विशेष परिस्थितियों में, योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन/छूट (वित्तीय मानदंडों को छोड़कर) पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा विचार किया जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है। वित्तीय मापदंडों में व्यय विभाग के परामर्श से परिवर्तन किया जा सकता है।

क. आवेदन चरण में आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

1. 10वीं बोर्ड का प्रमाणपत्र
2. जाति प्रमाण पत्र
3. फोटो
4. स्कैन किए गए हस्ताक्षर
5. वर्तमान पते का प्रमाण/स्थायी पते का प्रमाण, यदि वर्तमान पते से भिन्न हो
6. योग्यता डिग्री/अनंतिम प्रमाण पत्र
7. योग्यता परीक्षा की मार्कशीट
8. विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश के संबंध में वैध दस्तावेज (आवेदन, पंजीकरण या प्रवेश से संबंधित दस्तावेज) (*)
9. योजना दिशानिर्देशों के खंड-5 में वर्णित अनुसार परिवार के सभी सदस्यों के आय दस्तावेज
10. यदि आवेदक कार्यरत है तो नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र। योग्यता डिग्री पूरी करने के बाद 6 महीने से अधिक का अंतराल होने पर गैप सर्टिफिकेट।
11. आयकर रिटर्न पावती दस्तावेज या उम्मीदवारों द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न को स्वीकार करने वाले मूल्यांकन आदेश की प्रति।
12. आधार कार्ड

ख. यदि उम्मीदवार का चयन हो जाता है, तो उन्हें अनुसूचित जाति आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के तहत अनंतिम अवार्ड लेटर जारी होने पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

- i. सत्यापन प्रपत्र
- ii. कुल वार्षिक पारिवारिक आय के संबंध में स्वघोषणा/वचन।
- iii. किसी लंबित मामले/अपराध में दोषसिद्धि न होने के संबंध में स्वघोषणा।
- iv. पासपोर्ट की प्रति

उपरोक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और संबंधित दूतावास द्वारा प्रस्ताव पत्र के सत्यापन तथा विभाग द्वारा मांगे गए मूल दस्तावेजों के बाद, अवार्ड लेटर की पुष्टि प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी:- अभ्यर्थी को सत्यापन के लिए आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज मूल रूप में प्रस्तुत करने के साथ पूर्व अनुमति/अपॉइंटमेंट लेकर किसी भी कार्य दिवस पर व्यक्तिगत रूप से इस मंत्रालय में आना होगा।

ग. इस मंत्रालय में सभी मूल दस्तावेजों के सत्यापन और वित्तीय विभाग (आईएफडी) की मंजूरी के बाद, छात्र को छात्रवृत्ति की पुष्टि पत्र जारी किया जाएगा। आवेदक को निम्नलिखित प्रस्तुत करना आवश्यक है:

- (i) अनुसूचित जाति आदि के लिए उम्मीदवार के राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना को नियंत्रित करने वाले विनियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार, सभी मामलों में पूर्ण

रूप से कम से कम 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर दो बांड, दो जमानतदारों के लिए नोटरी पब्लिक के समक्ष निष्पादित किए जाने चाहिए।

- (ii) दोनों जमानतदारों के लिए सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र।
- (iii) स्वास्थ्य प्रमाणपत्र।
- (iv) अपने पासपोर्ट और वीज़ा की दो प्रतियां।
- (v) गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक वचनबद्धता/घोषणा जिसमें कहा गया हो कि छात्र ने वह योग्यता हासिल नहीं की है जिसके लिए उसे चुना गया है और उसने कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की है।
- (vi) वह तिथि जिस पर छात्र विदेशी विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिए हवाई यात्रा करना चाहता है।
- (vii) चयनित उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के साथ पूर्व अनुमति/नियुक्ति लेकर किसी भी कार्य दिवस पर व्यक्तिगत रूप से इस मंत्रालय में पधारे।
- (viii) उनसे यह भी अनुरोध है कि वे उपरोक्त सभी दस्तावेजों की पीडीएफ ईमेल के माध्यम से भी उपलब्ध कराएं।

टिप्पणी:- बाँड, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग की नमूना प्रति, आवश्यक के लिए अवार्ड लेटर की पुष्टि के साथ जारी की जाएगी। अंडरटेकिंग को 10/- रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ लेकर प्रस्तुत किया जाना होगा।

- क. पोर्टल पहले चरण के लिए अप्रैल/मई में 40 दिनों की अवधि के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु खोला जाएगा तथा इस अवधि के पश्चात पोर्टल पुनः 4 दिनों के लिए खोला जाएगा ताकि अभ्यर्थी अपने प्रस्तुत आवेदन में यदि कोई सुधार करना चाहें तो कर सकें।
- ख. प्राप्त आवेदनों की 20-30 दिनों में अनुभाग में जांच की जाएगी।
- ग. इसके बाद, जांचे गए आवेदनों को अभ्यर्थियों की संस्तुति/अस्वीकृति के लिए चयन-सह-स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखा जाएगा, जिसमें लगभग 10-15 दिन लगेंगे।
- घ. समिति से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर, चयन/अस्वीकृति हेतु अंतिम सूची माननीय मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
- ङ. दूसरे दौर के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसके लिए सितंबर/अक्टूबर में 40 दिनों की अवधि के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल खोला जाएगा और इस अवधि के बाद, उम्मीदवारों को प्रस्तुत आवेदनों में यदि कोई सुधार हो तो उसे करने के लिए पोर्टल को 4 दिनों के लिए फिर से खोला जाएगा।
- च. पोर्टल केवल दो राउंड के लिए खोला जाएगा, बशर्ते स्लॉट उपलब्ध हों।
- छ. परिणाम ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
- ज. सभी पंजीकृत आवेदकों को समय-समय पर व्यक्तिगत ईमेल/संदेश भी भेजे जाएंगे। अधूरे आवेदनों को तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

टिप्पणी:- उपरोक्त समयसीमा अनंतिम है।